

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 21 / 2016

दायर दिनांक 20.04.2016

देवजी	उनवान	रूपा
	बनाम	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 01.04.2021

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई | वकील वादी हाजिर नहीं | बार बार आवाज लगाई गई हाजिर नहीं | हाजिर नहीं आने से पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है अत-पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो |



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

